

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 687
जिसका उत्तर बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक न्यायालय

+687. श्रीमती पूनमबेन माडम :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में फास्ट ट्रैक न्यायालय चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जिलों में ये न्यायालय चल रहे हैं तथा उनके द्वारा किन-किन मामलों का न्यायनिर्णय किया जा रहा है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन न्यायालयों द्वारा लिए गए तथा निपटान किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)**

(क) से (ग) : त्वरित निपटान न्यायालयों सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना और इनका कामकाज संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तारीख 30 जून, 2020 तक, गुजरात राज्य में कोई भी कार्यात्मक त्वरित निपटान न्यायालय नहीं था।
